

37

PBR | निगरानी | भोपाल | भू-दा 2017/2026

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क.

श्रीमति कमला साहू पत्नी श्री हरिनारायण साहू

निवासी-म.नं. 154, रत्नागिरी रायसेन रोड,

दुर्गा पार्क के पास, पिपलानी, भोपाल म.प्र.

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

(1) म.प्र. शासन

(2) ~~नायब तहसीलदार~~ महोदय, ~~गायबपुरा~~ " ~~भोपाल~~ ~~म.प्र.~~ ~~जिला भोपाल म.प्र.~~ ~~गायबपुरा~~ ~~म.प्र.~~ ~~भोपाल~~ " ~~म.प्र.~~

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी (श्री सुधाकर तिवारी) द्वारा प्रकरण कमांक 30/ए-68/2016-17 पक्षकार शासन विरुद्ध श्रीमति कमला साहू में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:-

1
20/25/2017
गोदारा 27-6-17
नायब तहसीलदार
भोपाल
म.प्र.
27/6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./भोपाल/भू.रा./2017/2026

जिला भोपाल


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11-7-2017

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-2017 का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि पूर्व में किया गया सीमांकन वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है। वैसे भी यह अतिक्रमण का प्रकरण है। सीमांकन की कार्यवाही पृथक कार्यवाही है, जिसे आवेदक पृथक से चुनौती दे सकता है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।




अध्यक्ष